भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 14/2025-26

तृतीय तल,उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 18.09.2025

सेवा	**: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**: इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,(एसवीपीआईए) अहमदाबाद**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)**

विषय: मैसर्स इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 14.08.2025 से 31.03.2026 तक तदर्थ टैरिफ बढ़ाना।

पृष्ठभूमि और स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति:

1. मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "मैसर्स इंडोथाई" कहा गया है), स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरिम आधार पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस) प्रदान कर रहा है, जो कि हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) द्वारा दिनांक 16.05.2025 को जारी किए गए कार्य सौपने संबंधी पत्र के अनुसार है।

2. ऐरा ने दिनांक 17.06.2025 के आदेश संख्या 04/2025-26 के तहत अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में मैसर्स इंडोथाई के पक्ष में पहले 14.08.2025 तक तदर्थ टैरिफ को मंजूरी दी थी, ताकि आईएसपी अहमदाबाद हवाईअड्डे पर पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी यानी मैसर्स सेलेबी से प्रचालन का कार्यभार संभाल सके, जिसकी सुरक्षा अनुमति बीसीएएस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर 15.05.2025 को वापस ले ली गई थी।

3. अब, मैसर्स इंडोथाई ने दिनांक 19.08.2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में 10 वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं (जीएचएस) के प्रावधान हेतु हवाईअड्डा प्रचालक (एआईएएल) द्वारा जारी आरएफपी में चयनित सफल बोलीदाता के रूप में सामने आए हैं। उपर्युक्त के अनुसरण में, हवाईअड्डा प्रचालक (एआईएएल) ने मैसर्स इंडोथाई के पक्ष में दिनांक 19.07.2025 को कार्य सौपने संबंधी पत्र जारी किया है।

4. इस बीच, मैसर्स इंडोथाई को नई रियायत (दिनांक 19.07.2025 के कार्य सौपने संबंधी पत्र के अनुसार प्रदान की गई) प्रदान करने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक ने मैसर्स इंडोथाई के पक्ष में पहले जारी किए गए दिनांक 16.05.2025 के कार्य सौपने संबंधी पत्र (अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए अंतरिम व्यवस्था से संबंधित) की वैधता को एआईएएल के दिनांक 13.08.2025 के पत्र द्वारा 90 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है, जो 14.08.2025 से 11.11.2025 तक प्रभावी रहेगी।

5. आईएसपी ने दिनांक 19.08.2025 को ऐरा को लिखे अपने पत्र में प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में ऐरा द्वारा पूर्व में अनुमोदित तदर्थ टैरिफ की वैधता को (दिनांक 17.06.2025 क टैरिफ आदेश संख्या 04/2025-26 के अनुसार) 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाए, जो 14.08.2025 से 11.11.2025 तक प्रभावी रहेगा।

इस संबंध में, आईएसपी ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं:

(i) अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए को (नियमित आधार पर 10 वर्ष के लिए) मैसर्स इंडोथाई के पक्ष में हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा दिनांक 19.07.2025 को जारी किया गया कार्य सौपने संबंधी पत्र (एलओए)।

(ii) अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए मौजूदा अंतरिम व्यवस्था की अवधि बढ़ाने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा मैसर्स इंडोथाई को दिनांक 13.08.2025 को जारी किया गया अवधि बढ़ाने संबंधी पत्र।

ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ की वैधता बढ़ाने संबंधी इंडो थाई के अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच:

6. प्राधिकरण ने नोट किया है कि पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (मैसर्स सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की सुरक्षा अनुमति रद्द होने के बाद, हवाईअड्डा प्रचालक (मैसर्स एआईएएल) ने पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (जीएचए) के साथ अपना करार समाप्त कर दिया था। अहमदाबाद हवाईअड्डा प्रचालक ने, अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के स्थान पर मैसर्स इंडोथाई नामक एक नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी नियुक्त करके एक वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्था (90 दिन के लिए) की।

7. प्राधिकरण ने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर तत्कालीन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की सुरक्षा अनुमति रद्द करने के बाद असाधारण परिस्थितियों के संदर्भ में नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी यानी मैसर्स इंडोथाई के अनुरोध पर विचार किया और दिनांक 17.06.2025 के आदेश संख्या 04/2025-26 के तहत 13.08.2025 तक की अवधि के लिए मैसर्स इंडोथाई के लिए तदर्थ टैरिफ को अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

8. यह नोट किया जाता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए नियमित आधार पर नई एजेंसी के चयन के लिए हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा जारी किए गए कोटेशन अनुरोध (आरएफक्यू) में मैसर्स इंडोथाई सफल बोलीदाता के रूप में सामने आई है।

9. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि मैसर्स इंडो थाई ने 19.07.2025 (नई रियायत के संबंध में) के कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए इंडो थाई की 100% सहायक कंपनी एजीएच पोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एक विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में शामिल किया था। परंतु, मैसर्स इंडोथाई के अनुसार, कुछ अनुमति और अनुमोदन के कारण, एजीएच पोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में तुरंत काम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, इस बीच मैसर्स इंडोथाई ने प्राधिकरण से तीन माह अर्थात 14.08.2025 से 11.11.2025 तक की अवधि के लिए उस तदर्थ टैरिफ (13.08.2025 तक) की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया, जिसे ऐरा ने अपने दिनांक 17.06.2025 के आदेश संख्या 04/2025-26 के तहत अनुमोदित किया।

10. प्राधिकरण इस बात से सहमत है कि मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स इंडोथाई द्वारा निगमित एसपीवी) को अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा, नई एजेंसी को नियमित टैरिफ निर्धारण के लिए अपना एमवाईटीपी प्रस्तुत करने में भी कुछ समय लगेगा।

11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम व्यवस्था के रूप में, प्राधिकरण ने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ (13.08.2025 को लागू) को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि ऐरा द्वारा दिनांक 17.06.2025 के आदेश संख्या 04/2025-26 के तहत मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अनुमोदित की गई थी। यह टैरिफ 14.08.2025 से 31.03.2026 तक की आगे की अवधि के लिए, या मैसर्स इंडो थाई और हवाईअड्डा प्रचालक के बीच वर्तमान अंतरिम व्यवस्था की वैधता तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाएगी।

12. प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि इस आदेश के अनुसार तदर्थ टैरिफ मैसर्स एजीएच पोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) के लिए तभी लागू होगा, जब वह आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लेगी और 31.03.2026 तक की अवधि के लिए एसवीपीआईए, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन शुरू कर देगी।

13. एजीएच पोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन शुरू होने की तारीख से दो माह के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण को एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

आदेश

उपर्युक्त पैरा 1,2,3,4 और 5 के अनुसार आईएसपी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अभिलेखों में उपलब्ध तात्विक सामग्री की जांच करने के बाद, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स इंडोथाई) को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर, अनुलग्नक (I, II और III) के अनुसार, हवाईअड्डा प्रचालक के साथ अंतरिम लाइसेंस करार की वैधता तक, या, दिनांक 19/07/2025 के एलओए के अनुसार मैसर्स इंडो थाई की 100% सहायक कंपनी मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रचालन शुरू किए जाने तक, या, 31.03.2026 तक, जो भी पहले हो, प्रभार लगाने और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण ने आगे निर्णय लिया है कि इस आदेश के अनुसार तदर्थ टैरिफ मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने और एसवीपीआईए, अहमदाबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन शुरू करने के बाद लागू होगी, जो इसके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2026 तक प्रभावी होगी।

(iv) प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अंतरदेशीय गैर-अनुसूचित और सामान्य विमानन प्रचालकों के लिए टैरिफ, मद-वार प्रभारों सहित, समान श्रेणी के विमानों के लिए सुसंगत अंतरदेशीय अनुसूचित उड़ानों हेतु अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(v) इसके अंतर्गत अनुमोदित टैरिफ, प्रयोक्ता पर लगाई जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(vi) विदेशी मुद्रा में ग्राउंड हैंडलिंग प्रभारों के भुगतान के लिए, पिछले माह के अंतिम दिन की आरबीआई की परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की 15 तारीख की विनिमय दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(vii) मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.11.2021 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-मोका के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक, इस आदेश के अनुसार तदर्थ टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

(ix) ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(x) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,
श्री विकास लाडिया, निदेशक
मैसर्स इंडो थाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड,
5 जेबीएस हाल्डेन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700105.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.
2) मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड, अहमदाबाद- 382421, गुजरात।